

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 1047/260/आउशि/शा-5'अ'/2021

भोपाल, दिनांक 08/09/2021

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने बाबत।

संदर्भ- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1084/260/आउशि/शा-5'अ'/2021, दिनांक 18.08.2021

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 19.08.2021 से 24.08.2021 तक प्राचार्य/ प्राध्यापकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित कर समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य एवं एक-एक प्राध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त प्राध्यापक महाविद्यालय के नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15.09.2021 से 25.09.2021 तक महाविद्यालयों में कार्यशाला आयोजित कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. समस्त महाविद्यालय शैक्षिक जगत में रूचि एवं विशेषज्ञता रखने वाले यथा प्रबुद्धजन, शिक्षाविद एवं स्थानीय उद्योगपति इत्यादि के साथ दिनांक 27.09.2021 से 30.09.2021 के मध्य कार्यशाला का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इन कार्यशालाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों को फील्ड प्रोजेक्ट/इन्टर्नशिप/प्रशिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा के लिए विद्यार्थियों को सम्बद्ध किया जाना होगा। इस कार्यशाला के माध्यम से संबंधित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण की कार्यवाही के लिए संस्थाओं का चयन किया जाना होगा।

प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे एवं क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है, अपना पालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के माध्यम से अकादमिक-शाखा के ई-मेल academy-he@mp.gov.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० धीरेन्द्र शुक्ल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 08/09/2021

क्रमांक: 1048/260/आउशि/शा-5'अ'/2021

प्रतिलिपि:

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव के स्टाफ आफीसर, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल